

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

आदेश

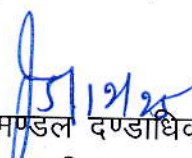
वाद सं० – एम० 15/2025-26

धारा 126 बी०एन०एस०एस०

प्रथम पक्ष : प्रवीण कुमार

बनाम

द्वितीय पक्ष : संतोष केशरी

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी
	वाद की कार्रवाई बी०एन०एस०एस० की धारा 126 के तहत पालकोट थाना के अप्राथमिकी संख्या 20/2025, दिनांक 26.05.2025 के द्वारा प्रतिवेदित प्रथम पक्ष : 1. प्रवीण कुमार, उम्र 30 वर्ष, पिता – जयशंकर प्रसाद केशरी, सा०+थाना – पालकोट, जिला – गुमला बनाम द्वितीय पक्ष : 1 संतोष केशरी, उम्र 42 वर्ष, पिता – स्व० अरबिंद केशरी, ग्राम+पो०+थाना – पालकोट, जिला – गुमला के मध्य पालकोट बाजार टांड स्थित खाता संख्या 684, प्लॉट संख्या 4080, रकबा – 16 डी० में बने दूकान के आने-जाने के रास्ता को लेकर आपस में तनाव एवं उत्पन्न विधि व्यवस्था की समस्या के आलोक में प्रारंभ की गई। उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें किन्तु उभय पक्षकार के द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया। अंचल अधिकारी, पालकोट एवं थाना प्रभारी, पालकोट से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त विषय से संबंधित केश माननीय न्यायालय सी०जी०एम० कोर्ट में लंबित है। न्यायिक कार्यावधि के संपूर्ण काल में प्रश्नगत मामले में थाना या अन्य किसी स्रोत से किसी प्रकार की विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। अतः उक्त मामले को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 126 के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण बिना गुण-दोष के इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि माननीय न्यायालय सी०जी०एम० कोर्ट में लंबित केश के आदेश आने तक सभी संबंधित पक्षकार प्रश्नगत स्थल पर लोक परिशांति व विधि व्यवस्था बनाए रखेंगे। लेखापित एवं संशोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।   अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।	